**भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम**

**व्याख्यान- IV**

**भारत में नागरिकता**

**नमस्‍कार।**

भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के एक और व्याख्यान में आपका स्वागत है जो विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है और नालसार विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद द्वारा संचालित है।

आज हम भारत में नागरिकता के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक भारतीय नागरिक कौन है? नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है? नागरिकता कैसे समाप्‍त हो जाती है? नागरिकता कानून में क्या-क्या संशोधन किए गए हैं।

आइए पहले इस प्रश्‍न को देखते हैं कि नागरिकता आवश्‍यक क्यों है। तो नागरिकता राष्ट्रों की कानूनी सदस्यता है। नागरिक शब्‍द हमेशा बाहरी यानी विदेशी, दुश्मन, प्रवासी, अवैध प्रवासी और शरणार्थी संदर्भ में प्रयोग होता है। यह हमेशा दूसरों के संदर्भ में प्रयोग में आता है, हम दूसरों के संदर्भ में नागरिकता की बात करते हैं।

नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय के भीतर समानता और एकीकरण का वादा है। ऐसा राजनीतिक समुदाय, जिसकी सदस्यता नागरिकता इंगित करती है, कैसे अस्तित्व में आता है? जब लोग एक संप्रभु राजनीतिक प्राधिकार की सहमति से परस्पर सहमत नियमों के ढांचे के भीतर एक साथ रहने के लिए सहमत होते हैं। आइए अब हम यह समझने की कोशिश करें कि ये परस्पर सहमत नियम क्या हैं और राजनीतिक सत्ता का क्या अर्थ है। आधुनिक समय में परस्पर सहमत नियम संविधान को संदर्भित करते हैं। यह संविधान है जो परस्पर सहमत नियमों को दर्शाता है और इसलिए इसे एक पवित्र प्रतिज्ञा पत्र कहा जाता है, इसे सामाजिक अनुबंध कहा जाता है जिसकी चर्चा हमने पहले व्याख्यान में की थी। राजनीतिक प्राधिकार का अर्थ है इन नियमों को लागू करने की शक्ति।

नागरिकता का कानूनी उद्देश्‍य क्या है? नागरिकता के संदर्भ में केवल औपचारिक या कानूनी सदस्यता से परे नागरिकता अधिनियमों का विचार। नागरिकता का विचार "गैर-भेदभाव" की बात करता है। इसीलिए अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए राज्य या सरकारें इन निषिद्ध आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। यह समानता का औपचारिक विचार है। लेकिन समानता के वास्तविक विचार के लिए विशेष उपाय की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए हमारे पास महिलाओं और आबादी के कई अन्य वंचित वर्गों के लिए विशेष उपाय हैं।

नागरिकता के दो केंद्रीय सिद्धांत क्या हैं? नागरिकता इन्हीं सिद्धांतों में से एक पर आधारित होती है। पहले सिद्धांत को सार्वभौमिक सिद्धांत कहा जाता है। यह मोटे तौर पर जूस सोलिस की अवधारणा है जिसका अर्थ है मिट्टी या जन्म स्थान से जुड़े नागरिकता का अधिकार। अगर किसी ने किसी देश में जन्म लिया है, तो उसको उस देश की नागरिकता का हक है। नागरिकता की संकीर्ण अवधारणा को जूस सेंगुइनिस कहते हैं (अर्थात जन्म के समय राष्ट्रीयता वही होगी जो माता-पिता की है) यानि रक्त संबंधों से निकलने वाली नागरिकता। तो आप केवल जन्म पर ही जोर नहीं देंगे। आप रक्त संबंध भी देखेंगे नागरिकता देते समय।

भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक कौन है? आपको आश्चर्य होगा कि नागरिकता को भारत के संविधान या 1955 के नागरिकता अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय नागरिकता किसे दी जानी चाहिए, इस सवाल पर संविधान सभा में बहुत बहस हुई थी। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि अन्य विषय ने उन्‍हें इतना सिरदर्द नहीं दिया था जितना नागरिकता ने। कई ड्राफ्ट तैयार किए गए और नष्ट कर दिए गए। एक सुझाव था कि हम धर्म के आधार पर नागरिकता दे, इसे खारिज कर दिया गया था।

अब दुर्भाग्य से नागरिकता एक विषय के रूप में विधि महाविद्यालयों, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाई जाती है। यह हाल ही में नागरिकता के विषय में नए सिरे से रुचि पैदा हुई है। भारत के संविधान के भाग II में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 5-11 विभिन्न प्रकार की नागरिकताओं के लिए प्रावधान करता है और दिलचस्प बात यह है कि भारत के संविधान के बारे में हमने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, पर नागरिकता के अनुच्छेद, 26 नवंबर, 1949 जो संविधान दिवस है, को संविधान को अपनाने के तुरंत बाद लागू कर दिया गया था।

एक भारतीय नागरिक कौन है, अनुच्छेद 5 हमें बताता है कि संविधान के प्रारंभ में भारतीय नागरिक कौन था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक कौन हैं और यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास डोमिसाइल है अर्थात वह भारत के क्षेत्र में रहता है और वो भारत में पैदा हुआ है वह भारतीय नागरिक होगा। यदि आप 26 जनवरी, 1950 को भारत में रह रहे हैं, आप भारत में पैदा हुए हैं, तो आप एक भारतीय नागरिक हैं। अगर आप 5 साल से भारत में रह रहे थे, तो भी आप एक भारतीय नागरिक होंगे।

अनुच्छेद 6 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्‍छेद है क्योंकि आपको यह समझाने की जरूरत नहीं कि हमें आजादी मिली लेकिन धर्म के नाम पर देश का बंटवारा भी साथ में हुआ। यह त्रुटिपूर्ण दो राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था और इसमें लाखों लोगों का पलायन शामिल था। यह एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में पलायन करने वाले लोगों की नागरिकता की बात करता है उस लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता में से कोई या उसके दादा-दादी में से किसी का जन्म भारतीय सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था। यही कारण है कि संविधान के विकास के बारे में बातचीत में, हमने भारतीय सरकार अधिनियम, 1935 पर इतना ध्यान दिया। क्योंकि यह उन लोगों की नागरिकता के उद्देश्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। भारत का नागरिक होने के लिए यदि वह या उसके माता-पिता में से किसी एक का या उसके किसी दादा-दादी का जन्म भारत में हुआ हो। यह महत्वपूर्ण है क्‍योंकि अनुच्छेद 5 में हमने माता-पिता के बारे में बात की। यहां हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, भले ही दादा-दादी में से एक का जन्म भारत में हुआ हो, पाकिस्तान से पलायन करने वालों को नागरिकता मिल जाएगी। इसी प्रकार यदि ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई, 1948 से पहले इस प्रकार प्रवासित हो गया हो और भारत का सामान्य निवासी रहा हो तो उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। ये तिथियां महत्वपूर्ण हैं जैसा कि आप बाद के लेखों में देखेंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो उस क्षेत्र में रह रहा था जो पाकिस्तान बन गया यदि वे उस से 19 जुलाई 1948 से पहले उस क्षेत्र में आ गया जो भारत बन गया और भारत में रह रहा है, तो उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा।

अब वे लोग जिन्होंने 19 जुलाई 1948 के बाद पलायन किया। इसमें अंतर था। उन्हें एक नागरिक के रूप में पंजीकृत होना होगा। यदि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया है, तो उसे पंजीकरण के बिना भारतीय नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर कोई 19 जुलाई, 1948 के बाद आया तो उसे इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी के पास खुद को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कराना होगा। अब इस अनुच्छेद में एक और प्रावधान है जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह आवेदन की तारीख से कम से कम छह महीने पहले भारत के क्षेत्र में निवासी न हो, इसलिए यदि आप भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं और आप भारत में 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं और यदि आप अपने पंजीकरण के लिए आवेदन के समय छह महीने से भारत में रहे हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं।

अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में प्रवासियों की नागरिकता की बात करता है। इस पूरे बंटवारे में भारतीय राष्ट्र के लिए हर तरह की समस्या खड़ी थी। आजतक हम इन समस्‍याओं से झूझ रहे हैं। इसलिए अनुच्छेद 5 और 6 में हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो भारत में पैदा हुए हैं या हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो पाकिस्तान से भारत आए। अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर वापस लौट आए, समस्या को देखिए कई लोग या तो फंस गए क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक ही देश था, उसका अचानक विभाजन हो गया था, विभाजन के दंगे हुए थे, वे व्यापारी थे, वे सौदागर थे, देश के सभी हिस्सों में रिश्तेदार थे और वो वापस नहीं आ सके। तो अब बाद में जब वे लौटे तो उनकी नागरिकता कैसे तय होगी। अनुच्छेद 7 हमें बताता है कि जो व्यक्ति 1 मार्च, 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, उसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान में प्रवास के बाद पुनर्वास या स्थायी वापसी के परमिट के तहत भारत लौट आया है और इसे 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवासित माना जाएगा। भले ही वह उस तारीख से पहले आया हो, उसे 19 जुलाई, 1948 के बाद प्रवास किया समझा जाएगा। अब उसे पंजीकरण द्वारा ही नागरिकता प्राप्त होगी, भले ही वह 19 जुलाई, 1948 से पहले लौटा हो।

अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता की बात करता है। कोई भी व्यक्ति, जिसके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई भी भारतीय सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा परिभाषित भारत में पैदा हुआ था और जो आमतौर पर भारत के बाहर किसी भी देश में रहता है, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसने अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि के पास पंजीकरण कराया है।

अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि आपने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त की है तो आप अपनी भारत की नागरिकता खो सकते हैं। बहुत से लोग जो संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य देशों में प्रवास कर जाते हैं, वे उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं और फलस्वरूप वे भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं।

अनुच्छेद 11 भारत का संविधान प्रारंभ में नागरिकता की बात कर रहा है। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन की नागरिकता की बात कर रहा है। बाद में नागरिकता कैसे दी जाएगी यह शक्ति नागरिकता को विनियमित करने के लिए संसद को दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।

नागरिकता के ग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित सभी मामलों में अनुच्छेद 11 संसद को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है क्योंकि हमारे पास एकल नागरिकता है। संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 17 में नागरिकता केंद्रीय विषय के रूप में है। संसद को छोड़कर नागरिकता के संबंध में किसी के पास भी कानून पारित करने की शक्ति नहीं है और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में कई बार 1986, 2003, 2015 और 2019 में संशोधन किया गया है। अब कई राज्यों ने सिटीजनशिप अमेन्‍डमेंट ऐक्‍ट (सीएए) 2019 के विरूद्ध प्रस्ताव पारित किए थे। इन प्रस्तावों की कानूनी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि राज्य विधानसभाओं के पास नागरिकता के संबंध में कोई शक्ति नहीं है। सीएए (CAA) आलोचक कहेंगे कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना भेदभावपूर्ण होगा, सरकार का तर्क है कि वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले लोगों को नागरिकता का पात्र बना रहे हैं, वो भी केवल उन लोगों के लिए जो 31 दिसम्बर 2014 तक भारत में प्रवेश कर गए थे।

आज हमने जो सीखा वह है नागरिकता राज्य केंद्रित अवधारणा है और नागरिकता अधिकारों का एक बंडल है जो या तो जन्म या रक्त संबंधों पर आधारित है और आज हमने जाना कि एक भारतीय नागरिक कौन है।

धन्यवाद।